

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937 No. 25] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/PAUSA 24, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

सा.का.नि. **25(अ).**— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में पैरा 72 में उपपैरा (5) में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"परन्तु इस उपपैरा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त किसी सदस्य को अपना दावा, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाए, सीधे आयुक्त को प्रस्तुत करने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा।"

[फा.सं. एस-35012/6/2015 एसएस-॥] मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

188 GI/2016 (1)

टिप्पण: कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1509 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666 (अ) तारीख 27 अगस्त, 2015 को संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2016.

G.S.R 25(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

- 1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2016.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 72, in sub-paragraph (5), after clause (f), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in this sub-paragraph, the Central Provident Fund Commissioner may permit a member to submit his claim, in such form and manner, and on such terms and conditions as may be specified by him in this regard, directly to the Commissioner."

[F. No. S-35012/6/2015-SS.II]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number S.R.O. 1509 and lastly amended vide notification number G.S.R. 666(E) dated the 27th August, 2015.